



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2006/चैत्र 28, 1928

No. 361]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2006/CHAITRA 28, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का.आ. 550(अ).—केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद अधिनियम संदर्भित किया गया है) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित धनराशि से अधिक अनुमानित पूंजीगत व्यय वाली किसी भी विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (इसके बाद प्राधिकरण संदर्भित किया गया है) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, नामक:—

1. दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये बशर्ते कि—

- (क) स्कीम अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा सथा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में शामिल हो और स्कीम एनईपी में सथा उल्लिखित क्षमता व प्रकार (रन-आफ-रिवर/स्टोरेज) के अनुरूप हो;
- (ख) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की स्थापना हेतु स्थल का आवंटन अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया हो।

2. उपरोक्त पैरा 1 के खण्ड (क) और (ख) में शामिल न की गई अन्य स्कीम के लिए पांच सौ करोड़ रुपये।

[फा. सं. 23/28/2003—आर एण्ड आर]

यू. एन. पंजियार, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2006

S.O. 550(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby notifies that the schemes for setting up hydro generating stations by any generating company involving an estimated capital expenditure exceeding the following sum shall be submitted for concurrence of Central Electricity Authority (hereinafter referred to as the Authority), namely:—

1. Rupees two thousand five hundred crores, provided that—

- (a) the scheme is included in the National Electricity Plan (NEP) as notified by the Authority under sub-section (4) of Section 3 of the Act and the scheme conforms to the capacity and type (run-of-river/storage) as mentioned in the NEP; and
- (b) the site for setting up the hydro generating station has been allocated through the transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government under Section 63 of the Act.

2. Rupees five hundred crores for any other scheme not covered by clauses (a) and (b) to para 1 above.

[F. No. 23/28/2003-R&R]

U. N. PANJIAR, Addl. Secy,



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 20, 2014/फाल्गुन 1, 1935

No. 410]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014/PHALGUNA 1, 1935

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014

का.आ. 490(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 8 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 18 अप्रैल, 2006 के का.आ. 550(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "पाँच सौ करोड़ रुपये" शब्दों को "एक हजार करोड़ रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 23/28/2003-आरएण्डआर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2014

S.O. 490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Power published *vide* S.O. 550(E), dated 18th April, 2006, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the words "Rupees five hundred crores" the words "Rupees One thousand crores" shall be substituted.

[E No. 23/28/2003-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.